<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपीडी/टीए/818/2006/चितोडगढ</u>

1 जोधसिंह पुत्र नन्दसिंह
2 मोहनसिंह पुत्र नन्दसिंह सभी जाति राजपूत निवासी सगजी का खेडा तहसील बेगू
3 श्रीमती कंचन बाई पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी जगपुरा तहसील गंगरार जिला चितोडगढ

अपीलार्थीगण

बनाम

1 नाथूसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी सगजी का खेडा तहसील बेगूं
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूं

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री अजीतसिंह राठौड वकील अपीलार्थीगण
श्री अयूब खां वकील प्रत्यर्थी संख्या 1

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.13.12.19</u>

यह अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ द्वारा अपील संख्या 256/2001 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं राजबाई ने उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के न्यायालय में एक संशोधित वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सगजी का खेडा तहसील बेगूं स्थित खसरा नम्बर 10 से 17/1 एवं 44मिन तथा खसरा नम्बर 18, 19, 20 कुल खसरा 12 रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा जिनके नवीन भू प्रबन्ध में खसरा नम्बर 20, 23, 27 से 35, 44 एवं 63 कुल खसरा 13 क्षेत्रफल 52 बीघा 14 बिस्वा में खसरा

नम्बर 10 से 17/1 एवं 44 मीन केसरसिंह की थी और खसरा नम्बर 18 से 20 केसरसिंह के भाई भोपालसिंह की थी। केसरसिंह की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र नंदसिंह व नाथूसिंह तथा बेवा राजबाई उत्तराधिकारी थे। नन्दसिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादीगण उनके उत्तराधिकारी है। भोपालसिंह निःसंतान फोत हो गये उनके उत्तराधिकारी नंदसिंह व नाथूसिंह बने। नंदसिंह बडा भाई होने से राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि उसके नाम दर्ज हो गई जबकि वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 राजबाई का एवं 1/3 हिस्सा नंदसिंह के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण हैं। भोपालसिंह की आराजीयात में नंदसिंह का 1/2 हिस्सा एवं वादी नाथूसिंह का 1/2 हिस्सा है। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खाण्डन किया एवं कथन किया कि केसरसिंहजी जागीरदार थे तथा जागीरदारी प्रथा के अनुसार उनका बडा लडका नंदसिंह जागीरदार बना इसलिए केसरसिंह की आराजीयात नंदसिंह के नाम आई। नाथूसिंह छुट भाई को 7 बीघा भूमि दी गई है। भोपालसिंह की भूमि पर नाथूसिंह का कोई हक व अधिकार नहीं है। भोपालसिंह नंदसिंह के पास रहे एवं नंदसिंह को वारिस माना। अतः वाद खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 5.9.2001 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध वादी नाथूसिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.12.2005 से अपील स्वीकार कर वादी का वाद प्राथमिक डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात केसरसिंह की खुदकाश्त आराजीयात रही हैं तथा केसरसिंह जागीरदार थे जिनका देहान्त वर्ष 1948 में हो गया। अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व हो गया। जिससे नन्दसिंह बडा पुत्र होने से जागीरदारी प्रथा के अनुसार केसरसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। जिससे विवादित आराजीयात नन्दसिंह की स्वअर्जित आराजीयात हैं जिसमें वादी नाथूसिंह का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। नाथूसिंह को छुट भाई होने से 7 बीघा भूमि दी गई। नन्दसिंह रूल आफ प्राइमोजेनीचर (ज्येष्ठता) के आधार पर केसरसिंह की जागीर का अधिकतम हिस्सा रखने का अधिकारी था। विवादित आराजीयात पैतृक आराजीयात नहीं है। वादी प्रत्यर्थी ने पूर्व में भी विवादित आराजीयात के संबंध में वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 22.3. 73 को खारिज हो गया जिससे पुनः वाद प्रस्तुत किया है जो पूर्व न्याय से बाधित है। विगत 30 वर्ष से अधिक समय से वादी का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं है जिससे वादी घोषणा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। वादी का वाद ही बंटवारे का

हैं। घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने सभी तनकियात पर पूर्ण विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निराधार रूप से विवादित आराजीयात को पैतृक मानकर निर्णय दिया है जो अनुचित है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 738, आर.आर.डी. 1984 पेज 215, आर.आर.डी. 1988 पेज 143, 605, आर.आर.डी. 1989 पेज 774, आर.आर.डी. 1992 पेज 114, आर.आर.टी. 2006(1) पेज 16 एस.सी. एवं आर.आर.डी. 1974 पेज 11, आर.बी.जे. 2013 पेज 315, आर.आर.टी.2002(1) पेज 526, 1988 पेज 605 तथा 1985 आर.आर.डी. पेज 294 न्याय निर्णय प्रस्तुत किए।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति है। विवादित आराजीयात केसरसिंह के खातेदारी की भूमि थी तथा केसरसिंह के दो पुत्र नंदसिंह व नाथूसिंह वारिस हैं। केसरसिंह की बेवा राजबाई का स्वर्गवास हो चुका है। केसरसिंह का देहान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के बाद हुआ है। केसरसिंह का देहान्त 1948 में होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद केसरसिंह का देहान्त हुआ है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्यों जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 में विवादित आराजीयात जागीरदार के नाम ही दर्ज है। केसरसिंह की मृत्यु के समय वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 नाबालिग होकर 3–4 साल का था। नंदसिंह बडा भाई होने से साजकर भूमि अपने नाम दर्ज करा ली। नंदसिंह जागीरदार नहीं था। यहां ज्येष्ठता (प्राइमोजेनीचर) के आधार पर टिनेन्सी दर्ज करवाली। राजस्थान में पहले ऐसा होता था। नंदसिंह द्वारा 7 बीधा भूमि वादी नाथूसिंह को देना बताया है परन्तु कौनसी 7 बीघा भूमि दी है तथा कहां दी है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का ससम्मान आवलोकन एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात केसरसिंह के खातेदारी की थी। इस तथ्य को दोनें पक्ष स्वीकार करते हैं। वादी का कथन है कि केसरसिंह की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद हुई जबकि प्रतिवादी अपीलार्थीगण का कथन है कि

केसरसिंह का देहान्त वर्ष 1948 में हुआ। प्रतिवादीगण की दरख्वास्त दिनांक 10.8.93 अंकित अनुसार राजकवंर का देहान्त 6 वर्ष पूर्व हो गया है। इससे यह तिथि 1987 की होना प्रकट होती है। वाद दिनांक 20.6.63 की तारीख टाईप से अंकित होना लिए हुए है। प्रतिवादी श्रीमती लाडकवंर के जिरह बयान अनुसार राजबाई केसरसिंह की मृत्यु के 30–35 साल बाद तक जीवित रहे। प्रतिवादी के जिरह बयान व प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार केसरसिंह की मृत्यु 1952 से 1955 के मध्य होना प्रकट होता है। वादी नाथूसिंह के जिरह बयान दिनांक 15.10.90 को हुए जिसके अनुसार केसरसिंह के मृत्यु को 36 साल हुए। यह तिथि 1954 की प्रकट होती है। परन्तु केसरसिंह की मृत्यु के संबधं में दोनो ही पक्षो द्वारा कोई स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि कुछ गवाहों ने मृत्यु के वर्ष पूर्व होना अवश्य कथन किया है परन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 में विवादित आराजीयात नंदसिंह की खातेदारी में अंकित हैं। इससे यह स्पष्ट है कि केसरसिंह का देहान्त सम्वत 2015 अर्थात सन् 1955 के बाद हुआ है। जबका भूमि नंदसिंह के नाम का दस्तावेज पेश हुआ है। अपीलार्थीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे केसरसिंह की मृत्यु 1948 में होना स्पष्ट रूप से साबित होता हो। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक सम्पति में केसरसिंह के सभी उत्तराधिकारियें का बराबर का हक व हिस्सा होगा।

7. अपीलार्थी का यह कथन कि नंदसिंह को 7 बीघा भूमि दी। यह कौनसी भूमि दी, स्पष्ट नहीं किया है। यदि ऐसी स्थिति होती तो वह विशेषीकृत विवरण खुलासे के साथ प्रकट की जाती। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि नाथूसिंह को कोई अधिकार नहीं था। कानून माल मेवाड के अनुसार गुजारे की जमीन व कानूनी जरूरियात का खर्चा सरकार से दिलाया जा सकेगा। किन्तु ऐसा किया गया था, यह सविवरण सप्रमाण प्रकट नहीं किया गया है, जो यह प्रकट करता है कि पिता के जीवित रहने से उस कानून के लागू रहते ऐसी स्थिति नहीं आई थी। पी.डबल्यू. 2 भूरालाल रेबारी जिरह में कहता है कि मेरे पास की जमीन नाथूसिंह व नंदसिंह की जमीन है। मेरे हिसाब से 6 बीघा का टुकडा है। उस पर तीन तीन बीघा जमीन दोनें के पांती आई। यह स्थिति दोनों भाईयों के काबिज काश्त होने को प्रकट करती है। भू प्रबन्ध नियमावली के अध्याय 4 में अंकित अनुसार :–

‘‘राजस्थान में यह प्रथा रही है कि पिता के मरने के बाद बडे पुत्र को पगडी बांधी जाती है और वही कर्ता खानदान हो जाता है। कभी कभी उसी के नाम ही पिता की समस्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व अभिलेखों में हो जाता है। तथा अन्य भाईयों

का नाम नहीं आता। बाद में पता चलने पर सभी बडे भाई सहित इस गलती को दुरूस्त कराना चाहते है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(34)राज/ग्रुप/476 दिनांक 4.10.77 के अनुसार ऐसी गलतियों को सुधारा जाकर अभिलेख में नामान्तररण्ण कर दिया जावे।''

8. ऐसे मामलों में समय की परत पडने से रजामन्दी नहीं होने तथा नामान्तरकरण नहीं होने पर घोषणा के बाद द्वारा अनुतोष उपयुक्त मामलों में दिया जा सकता है।

9. अब जहां तक प्रश्न प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के सम्यक निर्णयकारी का है, आराजी केसरसिंह के नाम होना, जागीरदारी होना पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्य है तथा प्रदर्श–1 फहरिश्त ए फाईल संख्या 2001 से भी प्रकट है तथा अभिलेख में नंदसिंह का नाम का प्रस्तुत प्रथम इन्द्राज सम्वत 2016 से 2019 की जमाबन्दी प्रदर्श–3 का है। ऐसी स्थिति में आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रथम अपीलीय न्यायालय के विचारण को यदि किसी भी रूप में देखे कोई सारवान प्रभाव नहीं रखने से उसके आधार पर द्वितीय अपील का निर्णय प्रभावित नहीं होता है।

10. भोपालसिंह की मृत्यु निःसन्तान हुई है। प्रतिवादी अपीलार्थी का कथन रहा है कि भोपालसिंह नंदसिंह के पास रहे तथा पुत्रवत माना। परन्तु ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे भोपालसिंह द्वारा उनका हिस्सा नंदसिंह को विधिक प्रावधानों के अनुसार दिया गया हो अथवा कोई वसियत या बक्शीश आदि की गई हो। ऐसी स्थिति में भोपालसिंह की निर्वसियत मृत्यु होने से भोपालसिंह के हिस्से की भूमि में भी पैतृक सम्पति होने से वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

11. प्रतिवादी अपीलार्थीगण का यह कथन रहा है कि वादी नाथूसिंह को छुट भाई होने से 7 बीघा दी गई थी। परन्तु यह नहीं बताया गया है कि कौनसी एवं कहां पर दी गई थी। मौखिक साक्ष्यों में कुछ गवाहों ने 7 बीघा भूमि पर दोनों भाईयों का बराबर बराबर हिस्से पर कब्जा होना कथन किया है। ऐसी स्थिति केसरसिंह का देहान्त राजस्थान कातश्कारी अधिनियम एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के बाद होने से विवादित आराजीयात पैतृक हैं जिनमें केसरसिंह के वारिसान का समान रूप से हक व हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है एवं हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य